न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 99 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. जोगाराम पुत्र भीमाराम
2. चैनाराम पुत्र श्री भीमाराम
3. माधराम पुत्र भीमाराम
4. सवाराम पुत्र भीमाराम
5. गंगाराम पुत्र मालाराम
6. वालाराम पुत्र मालाराम
7. पुरो पत्नी मलाराम
8. जगमाल पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी सोनगिरी की ढाणी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.गेनाराम पुत्र भारमलराम
2.आदाराम पुत्र भारमलराम
3.बींजाराम पुत्र भारमलराम
4.मदरूपाराम पुत्र मनराराम
5.सदाराम पुत्र मनराराम
6.मिसराराम पुत्र मनराराम
7.खेराजराम पुत्र मनराराम
8.ताजाराम पुत्र मनाराम
9.अनाराम पुत्र मनराराम जाति भील निवासी सोनगिरी की ढाणी भेडाणा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
10.एस बी आई शाखा गुड़ामालानी
11.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 05/2020 बअनवान गेनाराम वगै. बनाम जोगाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 01.11. 2021 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–08.03.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 03 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए उप धारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि प्रार्थीगण व उतरदाता संख्या 09 व 10 की खातेदारी की भूमि मौजा सोनगिरी की ढाणी पटवार क्षेत्र भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा संख्या

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

283/1 रकबा 24 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है इसमें आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है सरकारी कटान मार्ग तक पहुंचने के लिए हमारे पड़ौस के विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 281 रकबा 29.03 बीघा में से आ जा सकते है तथा इसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे यह रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता घोषित करवाने हेतु धारा 251ए रा.का.अधि. के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत हस्तगत आवेदन पेश किया जिसमें खेत खसरा संख्या 279 में आने जाने हेतु प्रार्थीगण की स्वयं की माताजी जिस नैनुदेवी पत्नी भारमलरामजी जो कि रास्ते का आवेदन पेशकर्ता स्वयं की माता है और इसके खेत से ही प्रार्थी रास्ते का उपयोग ले रहे है तथा प्रथम दृष्टया हक माताजी के खेत में ही इसका बनता है जो कि पहले से ही राजकीय कटान मार्ग पर अवस्थित है। उपरोक्त खसरा राजकीय कटान मार्ग पर अवस्थित है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट ने उपरोक्त तथ्यों को छुपाकर हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया है जबकि कैम्प कोर्ट में आपसी राजीनामा एवं सहमति के आधार पर निर्णय पारित किया जा सकता है जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसी स्थिति नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण की तरफ से पेश जबाव को शामिल मिसल किया गया जबकि रेकर्ड पर नहीं लिया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि मौजा सोनगिरी की ढाणी पटवार क्षेत्र भेडाणा तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा संख्या 283/1 रकबा 24 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है इसमें

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

आने जाने हेतु कोई राजकीय कटान मार्ग नहीं है। सरकारी कटान मार्ग तक पहुंचने के लिए हमारे पड़ौसी विप्रार्थीगण/अपीलांट के खेत खसरा संख्या 281 रकबा 29.03 बीघा में से आ जा सकते है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय पर विवेचन करने के उपरांत मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टगण/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया जबकि कैम्प कोर्ट में आपसी सहमति से राजीनामा के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया उक्त मौका फर्द को तैयार करते वक्त अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। जबकि मौजा सोनगिरी पटवार हल्का भेडाणा के खेत खसरा संख्या 279 व 283/1 में अपीलांट की माता नेनूदेवी खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट द्वारा हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाकर पेश किया, क्योंकि खसरा संख्या 279 सरकारी कटाण रास्ते से जुड़ा हुआ है तथा खसरा संख्या 279 व खसरा संख्या 283/1 की सीमाओं से लगते हुए खसरे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने के उपरांत खातेदार नेनूदेवी ने दिनांक 26.11.2021 को खसरा संख्या 279 में से अपना संपूर्ण हिस्सा खरीददार भानाराम पुत्र जोधाराम को कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि हस्तगत आवेदन तथ्यों को छुपाकर एवं आवश्यक हितबद्ध पक्षकार को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं कर न्यायालय को अंधेरे में रखकर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित करवा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी
जालोर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उक्तानुसार विधिक त्रुटियों से ग्रसित है। अतः इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 05/2020 बअनवान गेनाराम वगै. बनाम जोगाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 01.11.2021 अपास्त किया जाता है।

(अरिवन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर